

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-1/15324/2023 दिनांक-18.04.2023 एवं शा0सं0-1/120994/2023/XXX (2)/E-33080 दिनांक-10.05.2023 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2023 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री राजेश खेतवाल, प्रभारी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट एवं श्री योगेश रूवाली, प्रभारी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी गोपेश्वर का पारस्परिक स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जाता है।

श्री राजेश खेतवाल, प्रभारी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट एवं श्री योगेश रूवाली, प्रभारी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी गोपेश्वर को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उक्त दोनों अधिकारियों का पारस्परिक स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः उन्हें कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(गोपी संकर)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/1655 /स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2023-24 दिनांक : 09-06-2023

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारी।
2. कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट/गोपेश्वर।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/चमोली।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. संयुक्त सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

आदेश

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक-05.01.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए स्थानान्तरण 2017 संख्या-01 वर्ष 2018, कार्मिक अनुभाग-2 के शा0 संख्या-1/15324/2023 दिनांक-18.04.2023 एवं शा0सं0-1/120994/2023/XXX (2)/E-33080 दिनांक-10.05.2023 में वर्णित प्राविधानान्तर्गत निदेशालय स्तर पर गठित वार्षिक स्थानान्तरण समिति की बैठक दिनांक-05.06.2023 में दी गई संस्तुति के आधार पर श्री राजेश खेतवाल, प्रभारी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट एवं श्री योगेश रूवाली, प्रभारी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी गोपेश्वर का पारस्परिक स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जाता है।

श्री राजेश खेतवाल, प्रभारी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट एवं श्री योगेश रूवाली, प्रभारी कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी गोपेश्वर को निर्देशित किया जाता है कि वे बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये, अधिनियम के प्राविधानान्तर्गत इस आदेश निर्गत होने के 10 दिवस के अन्दर नवीन तैनाती स्थल पर योगदान करते हुए प्रभार प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि में योगदान न करने, स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का दबाव डलवाये जाने या प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये जाने की दशा में अधिनियम की धारा-24 के अधीन दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उक्त दोनों अधिकारियों का पारस्परिक स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है, अतः उन्हें कोई स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

ह0/-
(गौरी शंकर)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक:-कृ0नि0/1655/स्था0-2/श्रेणी-2/स्थाना0पत्रा0/2023-24 दिनांक : 09-06-2023

प्रतिलिपि : निम्नांकित को परिपालनार्थ, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सम्बन्धित अधिकारी।
2. कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, धुमाकोट/गोपेश्वर।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. मुख्य कृषि अधिकारी, पौड़ी गढ़वाल/चमोली।
6. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. संयुक्त सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
8. गार्ड पत्रावली।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।
9/6